

क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2045

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

✓ कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत।

संदर्भ :- अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)


18.2.19
(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
रायपुर, दिनांक /02/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /
प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य।


(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 15/2 /02/2019

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
प्रतिलिपि :-

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ ~~संब.~~
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संबंधित नस्ल (वाचिड प्रति 2018)
के लिये प्रेषित करें।
पृ. क्र. 15/2/19

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

अपील प्रकरण
संख्या २०१८/२०१८

क्रमांक 136/बो.प्र./नि.स./2018/ 7584
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

(15)

दिनांक 03/05/2018

अपीलार्थी

श्री जसराजप्रीत सिंह बल,
अधिवक्ता
पता:- 616-617, टाटीबंध,
रायपुर (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी

श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. श्री जसराजप्रीत सिंह बल, अधिवक्ता, टाटीबंध, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 09.03.2018 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी की पूर्ण जानकारी नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रथम अपील आवेदन पत्र के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.2018 को उपस्थित होने हेतु पत्र क्र. 6652, दिनांक 18.04.18 द्वारा आदेश जारी किया गया। जिसके पालन में उभय पक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.18 को उपस्थित हुए प्रकरण पर उभय पक्षों को सुना गया।
3. जनसूचना अधिकारी श्री एस.के. विश्वकर्मा द्वारा जानकारी दी है कि अपीलार्थी द्वारा मांगे गये चार बिन्दुओं की जानकारी में से बिन्दु क्र. 1 एवं 2 की जानकारी अपीलार्थी को दिया गया है। बिन्दु क्र. 3 एवं 4 की जानकारी नोटशीट में संबंधित सेक्शन द्वारा दिया गया है। जो अपीलार्थी को दिया जा सकता है।
4. अपीलार्थी श्री जसराजप्रीत सिंह बल द्वारा प्रत्युत्तर लिखित में दी है कि बिन्दु क्र. 2 की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.03.18 को प्रेषित की गई थी, जिसमें जनसूचना अधिकारी द्वारा उद्योगवार एवं उन पर बकाया रकम की जानकारी प्रेषित की थी जिसका विवरण जनसूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने लिखित सूचना दी है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विगत 4 वर्षों की जानकारी दी है। वर्ष 2013 के पूर्व की हिसाब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तथा जानकारी किस प्राधिकारी के उपलब्ध है, इसकी भी सूचना नहीं दी है। जिससे उन्हें जानकारी की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है।
5. प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनसूचना अधिकारी के पत्र क्र. 4722, दि. 20.03.2018 द्वारा अपीलार्थी को 502 पृष्ठों की जानकारी दिये जाने हेतु शुल्क जमा करने को लिखा गया है। अपीलार्थी उपस्थित होकर सिर्फ 20 पृष्ठों की जानकारी प्राप्त कर हस्ताक्षर किए हैं। उसी नोटशीट में N/3 में बिन्दु क्र. (3) एवं बिन्दु क्र. (4) की जानकारी का टीप अंकित है। जिसे अपीलार्थी को नोटशीट नोट कराया गया अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है। उक्त नोटशीट की प्रतिलिपि नियमानुसार अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए जो कि दिया नहीं गया है। अपीलार्थी को लिखित रूप से पत्र द्वारा जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना था तथा जो जानकारी उपलब्ध नहीं है उसे स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए था कि कहां से प्राप्त होना संभावित है।



अतः जनसूचना अधिकारी पत्र क्र. 4338, दि. 13.03.2018 द्वारा पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने हेतु लिया गया निर्णय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) की उपधारा (iii) के अनुसार भारत शासन के पत्र क्र. 10/2/2008/IR, दिनांक 12.06.2008 सही है (छायाप्रति संलग्न)। अपीलार्थी का तर्क भी उचित नहीं है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय में जानकारी संकलित होना चाहिए। विस्तृत कार्यक्षेत्र होने कारण अपीलार्थी के मांग के अनुसार जानकारी संधारित होना संभव नहीं है।

6: अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि अपीलार्थी पैरा (5) के अनुसार जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें। जनसूचना अधिकारी प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की कार्यवाही करें तथा अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दें।

सहपत्र :- शून्य

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 135/बो.प्र./नि.स./2018 | 7 583

रायपुर, दिनांक 03/05/2018

प्रतिलिपि :-

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. श्री जसराजप्रीत सिंह बल, अधिवक्ता पता:- 616-617, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.) की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

नोट :- द्वितीय अपील-आयुक्त राज्य सूचना आयोग इन्द्रावती (प्रथम खण्ड) शास्त्री चौक, बंजारी बाबा के मजार के पास, रायपुर।

(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर